

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 159 / XXIII / 2015 / 04(01)2015 TC
देहरादून दिनांक: 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या: 1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

यह नियम दिनांक-16 अप्रैल, 2015 से दिनांक-31 मार्च, 2016 तक प्रभावी रहेंगे।

1. मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :-

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से कुल प्राप्त राजस्व (वर्ष 2014-15 में निर्धारित राजस्व व अतिरिक्त उठान पर प्राप्त एम0जी0डी0 (माह फरवरी, 2015 तक) में दुकानवार योग करके गत वर्ष प्राप्त दुकानवार आवेदन पत्र प्राप्ति की संख्या के आधार पर निम्नानुसार प्रतिशतवार वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	प्रतिशत में वृद्धि
0-10	4
11-20	5
21-50	6
51-100	8
101-200	10
201-300	12
301-400	15
401-500	18
501-700	22
701 से व उससे अधिक	25

उपरोक्त आगणित राजस्व में से दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 15.04.2015 तक प्राप्त राजस्व को घटाकर अवशेष अवधि (दिनांक 16.04.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक) हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

2. मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :-

वर्ष 2015-16 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम-1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमशः 5 व 1 प्रतिशत के बराबर निकटतम ₹ 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। ₹ 25.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में ₹ 25.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2015 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट का विवरण निम्नवत होगा :-

(एक) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा- दुकान के राजस्व का 2 (दो) प्रतिशत।

3. मदिरा दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :-

उपरोक्त नियम-1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से नियम-2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित की जायेगी। निकासी हेतु वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

4. मदिरा के 25 प्रतिशत अतिरिक्त एवं उससे अधिक उठान पर देय शुल्क :-

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के 25 प्रतिशत प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का 50 प्रतिशत लिया जायेगा एवं प्रति माह 25 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत तक प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का 30 प्रतिशत लिया जायेगा 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का 20 प्रतिशत लिया जायेगा।

परन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय मासिक राशि से अधिक उठान हेतु अनुज्ञापी अपना आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देंगे। सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक तत्काल अपनी आख्या जिला आबकारी अधिकारी को देंगे। जिला आबकारी अधिकारी तत्समय ही अनुज्ञापी के आवेदन को लिखित रूप में स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे। यदि कोई अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों से सहमत न हो तो वह आबकारी आयुक्त को अपील कर सकता है।

5. देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन:—

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। लाटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया विगत वर्षों की भांति अथवा ई-लाटरी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विदेशी मदिरा दुकान हेतु ₹ 22000/एवं देशी मदिरा दुकान हेतु ₹ 18,000/— की फीस उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी।

दुकान जिस जिले के अन्तर्गत आती हो, उसी जिले के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे

राज्य में एक आवेदक को एक से अधिक देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। आवेदक जनपद की सर्वाधिक राजस्व वाली देशी/विदेशी मदिरा की दुकान के अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जमा कर जनपद की किसी भी दुकान पर आवेदन कर सकता है। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये राज्य के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2015-16 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है, तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर ही चलायी जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6. प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापन:-

प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ मसूरी व रुद्रपुर में Mild Drink की उपलब्धता हेतु उक्त स्थानों में एक-एक दुकानों का सृजन किया जा चुका है। आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमति से इसी व्यवस्था के तहत कोई भी जनपद बीयर की नई दुकाने खोल सकते हैं। प्रदेश में बियर की समस्त दुकानों का लाटरी पद्धति से व्यवस्थापन किया जायेगा। प्रदेश में बियर की समस्त

दुकानों पर बीयर के अतिरिक्त वाईन तथा आर0टी0डी0 की बिक्री सील्ड बोतलों में अनुमत्त होगी। प्रदेश में बीयर की समस्त दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1 लाख प्रति दुकान नियत किया जाता है।

पात्रता:— आवेदन की पात्रता की शर्तें दुकान का व्यवस्थापन/हैसियत प्रमाण पत्र व आवेदन शुल्क का निर्धारण देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समान रहेगी।

7. प्रदेश में बीयर के निर्माता को आवेदन करने पर प्रत्येक जनपद में अपने उत्पादों की बिक्री हेतु एक आउटलेट खोलने की सुविधा दी जायेगी। आउटलेट खोलने का अनुज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। आउटलेट का अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1 लाख प्रति आउटलेट नियत किया जाता है। राज्य के कृषि उत्पादों यथा आलू, मन्डुवा, झंगोरा एवं फलोत्पादों से निर्मित वाईन/बीयर इत्यादि तथा राज्य में स्थिति ब्रुवरीज हेतु उनकी श्रेणी के अनुसार 10 प्रतिशत बिक्री आरक्षित रहेगी।

8. प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्री :-

प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा के ₹ 300 प्रति बोतल ई0डी0पी से अधिक ई0डी0पी की बोतलों एवं समुद्रपार आयातित बीयर/समुद्रपार आयातित वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी तथा इनका अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1 लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगी। मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर को निम्न एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0-2 से मदिरा का उठान करना होगा।

क्र०सं०	एक्स आसवनी का मूल्य	एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल
1	300.01 से 400 तक एक्स आसवनी मूल्य	₹ 330/-
2	400 से अधिक	₹ 375/-

समुद्रपार आयातित बीयर/समुद्रपार आयातित वाईन पर शुल्क एफ0एल0-5D के समान देय होंगे।

9. देशी मदिरा दुकानों में बीयर की बिक्री:-

राज्य में देशी मदिरा की दुकानों में बीयर बिक्री की अनुमति दी जायेगी।

10. देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत V/V मसालेदार शराब के अतिरिक्त 28 प्रतिशत V/V मसालेदार शराब की आपूर्ति भी की जायेगी तथा इस मदिरा के दुकानवार न्यूनतम स्टॉक का निर्धारण लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
11. मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधि:—
राज्य में देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 तक रहेगा परन्तु जनपद हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें, जो दूसरे राज्य की सीमा से 10 कि०मी० के अन्दर अवस्थित हों, के बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा।
12. अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन :—
फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरुद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।
13. विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था:—
प्रत्येक जिले में अधिकतम राजस्व वाली विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०-5 डी० लाईसेंस द्वारा दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु एफ०एल०-5 ई० लाईसेंस लेना होगा। एफ०एल०-5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 28 प्रतिशत के बराबर होगी।
उक्त के अतिरिक्त अपराध निरोधक क्षेत्र की सबसे अधिक राजस्व वाली विदेशी मदिरा दुकान को भी अनुज्ञापी के आवेदन पर उक्त शर्तों के अधीन उक्त सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
14. मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में :—
वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापियों को हस्तान्तरित हो सकता है परन्तु नये अनुज्ञापियों को देय एम०जी०डी० जमा करना होगा, जो माह में तय एम०एम०जी०डी० में सम्मिलित होगा। यदि नया अनुज्ञापी

अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण The uttrakhand Excise (Sattlement of licences for retail sale country liquor/ foreign liquor & beer rule 2001) के अनुसार किये जायेंगे।

15. देशी मदिरा की दुकानों हेतु प्रतिबन्धित जनपद :-

पूर्व की भाँति गढ़वाल मंडल के पाँच जनपदों (पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग/चमोली) में देशी मदिरा की दुकानों का संचालन नहीं किया जायेगा।

16. जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें:-

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) The Uttrakhand number and location of excise shops rules 1968 एवं समय-समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियम/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी।

17. किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना:-

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व सहमति से निर्णय ले सकेंगे।

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

18. पात्रता :-

देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी परन्तु आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ मात्र व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र व अर्नेस्ट मनी के ड्राफ्ट/विवरण लगाना होगा, अन्य प्रपत्र देशी/विदेशी/बीयर की दुकान के आवंटन की तिथि से 20 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यदि अन्य प्रपत्र 20 दिवस के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो दुकान का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। व्यक्ति के व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:- 1. पासपोर्ट 2. स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या 3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र 4. ड्राइविंग लाईसेंस 5. फोटो युक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका 6. आधार कार्ड ।

(एक) परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(दो) यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर वांछित हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(1) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

(3) हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

(तीन) दुकान आवंटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है, तो इस दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The uttrakhand Excise (Sattlement of licences for retail sale country liquor/ foreign liquor/beer rule2001) से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा की गई समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा।

(चार) आवेदक का स्थाई रूप से जनपद का निवासी होना अनिवार्य होगा, अतः दुकान आवंटित होने के 20 दिनों के अन्दर स्थाई निवास प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(पांच) आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझेदार को सम्मिलित करने की अनुमति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझेदार को सम्मिलित करने की अनुमति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी।

19. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर :-

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगी :-

(क) विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत् रहेगी:-

क्र०सं०	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए०एल०
1	₹ 40.00 तक	₹ 135
2	₹ 40.01 से ₹ 60.00 तक	₹ 145
3	₹ 60.01 से ₹ 80.00 तक	₹ 163
4	₹ 80.01 से ₹ 100.00 तक	₹ 235
5	₹ 100.01 से ₹ 200.00 तक	₹ 245
6	₹ 200.01 से ₹ 300.00 तक	₹ 280
7	₹ 300.01 से ₹ 400.00 तक	₹ 336
8	₹ 400 से अधिक	₹ 405

(ख) अन्य मामलों में विदेशी मदिरा की उत्पाद शुल्क की दर ₹ 135 प्रति अल्कोहलिक लीटर रहेगी।

(दो) 5 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Mild Beer) पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर ₹ 19/- प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बियर (Strong Beer) एवं वाईन पर ₹ 38/- प्रति बल्क लीटर रहेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना:-

(एक) (क) देशी मदिरा की 36%v/v पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी ₹ 170/- प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

(ख) देशी मदिरा की 28%v/v पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी ₹ 132/- प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम०जी०डी०) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :-

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम०जी०डी० (प्रति बोतल)
1.	₹ 40.00 तक	₹ 100.00
2.	₹ 40.01 से ₹ 60.00 तक	₹ 110.00
3.	₹ 60.01 से ₹ 80.00 तक	₹ 125.00
4.	₹ 80.01 से ₹ 100.00 तक	₹ 145.00
5.	₹ 100.01 से ₹ 200.00 तक	₹ 170.00
6.	₹ 200.01 से ₹ 300.00 तक	₹ 195.00
7.	₹ 300.01 से ₹ 400.00 तक	₹ 220.00
8.	₹ 400 से अधिक	₹ 250.00

(तीन) अद्दा तथा पौवा की प्रति पेटी ई०डी०पी० बोतल की तुलना में क्रमशः ₹ 25/- तथा ₹ 50/- की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्दा एवं पौवा पर निर्धारित एम०जी०डी० की दर बोतल की ई०डी०पी० के आधार पर समान रखी जायेगी।

21. सैन्य कैंटीनों द्वारा बिक्री पर एफ०एल०-2ए अनुज्ञापन शुल्क, ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें :-

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए एफ०एल०-2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए ₹ 15000/- लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(दो) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:-

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई०डी०पी० मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित किया जायेगा:-

क्र०स०	ई०डी०पी० मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए०एल०
1	₹ 40.00 तक	₹ 135
2	₹ 40.01 से ₹ 60.00 तक	₹ 145
3	₹ 60.01 से ₹ 80.00 तक	₹ 163
4	₹ 80.01 से ₹ 100.00 तक	₹ 235

5	₹ 100.01 से ₹ 200.00 तक	₹ 245
6	₹ 200.01 से ₹ 300.00 तक	₹ 280
7	₹ 300.01 से ₹ 400.00 तक	₹ 336
8	₹ 400 से अधिक	₹ 405

(ब) रियायती रम ₹ 62.00 प्रति ए०एल०।

(स) बियर एवं वाईन एफ०एल०-9 के अन्तर्गत एफ०एल०-5डी/5बी के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(तीन) असेसमेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र०सं०	मदिरा का प्रकार	असेसमेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर)	₹ 100.00
(2)	रियायती रम	₹ 60.00
(3)	बियर/वाईन	एफ०एल०-5 Dके समान दर

आई०टी०बी०पी०/सशस्त्र सीमा बल (एस०एस०बी०) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन/ब्राण्डी/बियर आदि)की सुविधा:-आई०टी०बी०पी०/सशस्त्र सीमा बल (एस०एस० बी०) को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सख्यां 989/XXIII/2011/43/VIP/2002 दिनांक 07.12.2011 के उत्तराखण्ड विक्रत स्पिरिट को छोड़कर विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत को अनुज्ञापन दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

22. मदिरा का विक्रय मूल्य :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को

संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा। विदेशी मदिरा (देशी मदिरा/बियर/वाईन को छोड़कर) का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगा :-

क्र०सं	विवरण
1	ई०डी०पी०
2	निर्यात शुल्क
3	आयात शुल्क
4	राज्य में स्थित एफ०एल०-3/3ए/एफ०एल०एम०-3 का बॉटलिंग शुल्क
5	बाण्ड व्यय
6	उत्पाद शुल्क
	योग
7	वाणिज्य कर
8	होलोग्राम शुल्क
	एफ०एल०-2 पर लागत मूल्य
9	टी०सी०एस०
10	एम०जी०डी०
	लागत मूल्य
11	फुटकर विक्रेता का लाभांश
	अधिकतम बिक्री मूल्य

(एक) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री रसीद देना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर बार कोड रीडर एवं प्रिन्टर की व्यवस्था अनुज्ञापी अपने स्वयं के व्यय से करेगा।

(दो) उन कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे, जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो। उनकी ई० डी० पी० दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई०डी०पी० से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई०डी०पी० दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई०डी०पी० से कम अथवा

समान होगी, की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। आपूर्तिकर्ता ब्राण्ड की दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ब्राण्ड की ई0डी0पी0 वर्ष के दौरान बढ़ने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ई0डी0पी0 बढ़ाकर फुटकर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसा वर्ष में दो बार ही किया जा सकेगा। समतुल्य ब्राण्डस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त किया जायेगा। समतुल्य की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित होगी:- जो कम्पनी दिल्ली राज्य में अपने ब्राण्ड बेच रही हैं, उसके उन सभी ब्राण्डों की ई0डी0पी0 का निर्धारण दिल्ली राज्य में निर्धारित की गयी ई0डी0पी के बराबर अथवा उससे कम रखने पर अनुमोदित की जायेगी, एवम् कम्पनी के वे ब्राण्ड जो दिल्ली राज्य में नहीं बेचे जा रहे हैं, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जा रहे हैं, उनकी ई0डी0पी0 का निर्धारण अन्य राज्यों से तुलना करने के पश्चात् किया जायेगा। यदि अन्य राज्य में भी प्रस्तुत ब्राण्डों की बिक्री नहीं की जा रही हैं तो कम्पनी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि यदि ऐसे ब्राण्ड जो केवल उत्तराखण्ड में बेचे जा रहे हैं, यदि उनको अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य के समान अथवा उससे कम नहीं रखी जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जाने वाले प्रत्येक ब्राण्ड की तुलना दिल्ली राज्य अथवा अन्य राज्यों में बेचे जा रहे ब्राण्ड के मूल नाम से की जायेगी।

उदाहरणार्थ :- यदि दिल्ली राज्य में कोई ब्राण्ड "XXX Classic whisky" के नाम से बेचा जा रहा है, तो उसका मूल नाम "XXX" माना जायेगा एवं उसी से उसकी ई0डी0पी0 की तुलना की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स-कस्टम ब्राण्ड मूल्य मानी जायेगी।"

उपरोक्त के होते हुये भी अद्धा तथा पौवा की प्रति पेट्टी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः ₹ 25/- तथा ₹ 50/- अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी। जो आपूर्तिकर्ता दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रख सकेंगे। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर ₹ 1 लाख पेनाल्टी आरोपित किये जाने तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(तीन) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न प्रशमन आरोपित किया जायेगा:-

1. प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने की राशि।
2. द्वितीय उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने की राशि व दुकान एक दिन हेतु निलंबित कर दी जायेगी।

3. तृतीय उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने की राशि व दुकान तीन दिन हेतु निलंबित कर दी जायेगी।
4. चतुर्थ उल्लंघन पर बिन्दु-3 में किया गया प्रशमन व कार्यवाही तथा दुकान के अनुज्ञापी को काली सूची में डाला जायेगा।

23. देशी/विदेशी मदिरा का आयात :-

देशी मदिरा प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

24. विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0-2/2बी/2एस/2डबल) अनुज्ञापन:-

नई एफ0एल0-2 व्यवस्था एक माह में लायी जायेगी, तब तक पुरानी व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

25. बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1.	<u>बियर</u>	
	(एक) बियर 650 एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0 एल0 की 24 पैक की पेटी एवं वाईन (750 एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी)।	175/-
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	270/-
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	175/-
2.	वाईन 750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	175/-
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	175/-

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेसमेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

26. राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री :-

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता या वे इकाई जिनको सम्बन्धित ब्राण्ड के वैधानिक अधिकार/स्वामित्व प्राप्त है, को उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमत्य विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0-2/2बी/2एस/2डब्लू लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2015-16 में निम्नानुसार होगी:-

1.	<p>बी0डब्लू0एफ0एल0-2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)</p> <p>(1) 25,000 पेटियों तक</p> <p>(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक</p> <p>(3) 50,001से 1,00,000 पेटियों तक</p> <p>(4) 1,00,000 पेटियों से 500,000 पेटियों तक</p> <p>(5) 5,00,000पेटियों से 1000,000 पेटियों तक</p> <p>(6) 10,00,000 पेटियों से अधिक</p>	<p>वर्ष या वर्ष के भाग के लिये</p> <p>₹ 4.50 लाख</p> <p>₹ 8.00 लाख</p> <p>₹ 12.00 लाख</p> <p>₹ 16.00 लाख</p> <p>₹ 21.00 लाख</p> <p>₹ 30.00 लाख</p>
2.	<p>(क) बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए।</p> <p>(1) 50,000 पेटियों तक</p> <p>(2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक</p> <p>(3) 1,00,000 पेटियों से 300,000 पेटियों तक</p> <p>(6) 3,00,000 पेटियों से अधिक</p> <p>(ख) बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी (आई) केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए</p> <p>(1) 1000 पेटियों की बिक्री तक</p> <p>(2) 1000 पेटियों से अधिक</p>	<p>वर्ष या वर्ष के भाग के लिये</p> <p>₹ 5.00 लाख</p> <p>₹ 10.00 लाख</p> <p>₹ 14.00 लाख</p> <p>₹ 18.00 लाख</p> <p>₹ 15 हजार</p> <p>₹ 1500/- प्रत्येक 100 पेटियों पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।</p>

3.	बी0डब्लू0एफ0एल0-2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये) (1) 100 पेटियों की बिक्री तक (2) 100 पेटी से ऊपर।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ₹ 15 हजार मात्र ₹ 7500 / प्रत्येक 50 पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
4.	बी0डब्लू0एफ0एल-2डब्लू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ₹12 हजार मात्र
5.	एफ0एल0-1(प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक में एफ0एल0-2 को बेचने हेतु लाईसेंस) (1) 12,500 पेटियों तक (2) 12,501 से 25,000 पेटियों तक (3) 25,000 पेटियों से अधिक पर	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये ₹ 60 हजार ₹ 1.20लाख ₹ 3.00 लाख

प्रदेश से बाहर के विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0एफ0एल0-2/2बी/2एस/2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स (कम्पनियों) की मदिरा/बियर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट (कम्पनियों) से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0डब्लू0एफ0एल0-2/2बी/2एस/2डब्लू की सामान्य लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स (कम्पनियों) की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

27. लेबल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :-

(एक) विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष ₹ 18,000 / (₹ अट्ठारह हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो) बियर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष ₹ 12000 /- (₹ बारह हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(तीन) वाईन हेतु ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु पंजीकरण शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होंगी।

28. होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:-

होटल बार लाईसेंस एफ0एल0-6(सम्मिश्र)बार की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र0 स0	एफ0एल0-6(सम्मिश्र) अनुज्ञापन कमरों की संख्या के आधार पर वर्ष या वर्ष के भाग हेतु	धनराशि
1.	20 कमरों तक	₹ 2 लाख
2.	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक	₹ 4 लाख
3.	60 कमरों से अधिक	₹ 6 लाख

29. रेस्त्रांबार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है:-

क्र0 सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (₹ में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	₹ 1.5 लाख
2.	बियर बार (1) रेगुलर बियर बार (2) सीजनल बियर बार	₹ 30 हजार ₹ 15 हजार
3.	क्लब बार (1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिकों हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन	₹ 1.20 लाख ₹ 1.80 लाख ₹ 3 लाख ₹ 25 हजार
4.	(1)अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन) होटल/वैडिंग प्वाइन्ट/रेस्टोरेन्ट (2)उक्त के अतिरिक्त	₹ 5 हजार मात्र ₹ 2 हजार मात्र

गैर-होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट व्यक्तियों को बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 1 एक हजार वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

डाट बियर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत् दी जा सकेगी, इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य केन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0 केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।

30. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी:-

एफ0एल0-2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगी:-

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य	एम0जी0डी0 की दर (प्रति बोतल)
1.	₹ 40.01 से ₹ 60.00 तक	₹ 165.00
2.	₹ 60.01 से ₹ 80.00 तक	₹ 188.00
3.	₹ 80.01 से ₹ 100.00 तक	₹ 218.00
4.	₹ 100.01 से ₹ 200.00 तक	₹ 255.00
5.	₹ 200.01 से ₹ 300.00 तक	₹ 293.00
6.	₹ 300.01 से ₹ 400.00 तक	₹ 330.00
7.	₹ 400 से अधिक	₹ 375.00
8.	बियर/ब्रीजर के 500 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 एवं 275 एम0एल0 के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक	₹ 10/- प्रति पैक

(अ) बारों में उठान के सापेक्ष एम0जी0डी0 निम्नानुसार ली जायेगी:-

1	3000 बोतल तक	एम0जी0डी0 उपरोक्तानुसार ली जायेगी।
2	3001 से 5000 बोतल तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर के निकासी दी जायेगी।
3	5001 से 10000 बोतलों तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।
4	10000 से अधिक बोतलों पर	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 30 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।

(ब) बारों को एफ0एल0-2 से न्यूनतम् उठान सीमा को समाप्त किया जाता है। कोई बार अनुज्ञापन किसी भी न्यूनतम् सीमा तक एफ0 एल0-2 से उठान कर सकता है।

(स) होटल बारों को कमरों में मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापनी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा ₹ 10000 (दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

31. होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता:-

(1) ऐसे होटल एवं रेस्त्रां को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री ₹ 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

किसी भी होटल/रेस्त्रांबार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुये भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

(2) एफ0एल0-6(समिश्र)/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को ₹ 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो, जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर ₹ 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगी।

32. प्रदेश में स्थित चार धाम (गंगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ) के यात्रा मार्गों एवं अधिसूचित स्थलों में बार का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

33. बियर एवं वाईन बार/सीजनल बियर एवं वाईन बार लाईसेंस:-

उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री ₹ 3.0 लाख वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें

₹ 30,000 प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर एवं वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा।

सीजनल पर्यटक स्थलों (हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जनपदोंशु को छोड़कर) के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे, सीजनल बार के लिये जनपद स्तर पर निम्नवत् अनुज्ञापन समिति गठित की जायेगी:-

जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
जिला पर्यटन अधिकारी	-	सदस्य
जिला आबकारी अधिकारी	-	सदस्य/सचिव

उक्त अनुज्ञापन समिति, प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श करेगी तथा एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञापन की संस्तुति के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी। उक्त बारों को मदिरा की आपूर्ति निकटतम् एफ0एल0-5डी द्वारा की जायेगी, जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा मदिरा परिवहन पास अनुज्ञापनी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त बारों का अनुज्ञापन शुल्क ₹ 01 लाख प्रति छः माह हेतु निर्धारित होगा एवं सीजनल बीयर एवं वाईन बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात् ₹ 15 हजार होगी। बियर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

34. आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना:-

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी:-

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था वह आसवनी स्वयं करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रों पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के आधीन जारी किये जायेंगे।

35. बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0-3ए एवं एफ0एल0एम0-3 हेतु बाँटलिंग फीस:-
 व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0-3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0-3 के समान लाईसेंस फीस देय होगी।
 परन्तु कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज पर बाटलिंग फीस एवं लाईसेंस फीस बीयर/ब्रीजर पर निर्धारित बाटलिंग एवं लाईसेंस फीस के समान होगी।

36. ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है:-

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक ₹ 15 हजार

(दो) अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक ₹ 20 हजार

(तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10000 किलो लीटर से अधिक पर ₹ 2 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

37. एफ0एल0एम0-3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी:-

क्र० सं०	विनिर्माणशाला की भराई क्षमता	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1.	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0)	₹ 5 लाख मात्र
2.	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 10 लाख मात्र
3.	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 15 लाख मात्र
4.	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 30 लाख मात्र
5.	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 50 लाख मात्र
6.	पचास लाख से अधिक परन्तु पचहत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 65 लाख मात्र

7.	पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक।	₹ 85 लाख मात्र
8.	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड़ पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	₹ 1 करोड़ मात्र
9.	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक बोतल (750 एम0एल0) ।	₹ 1 करोड़ 35 लाख मात्र

38. विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम ₹ 1 लाख के अधीन बाँटलिंग फीस राज्य में बिक्री हेतु ₹ 10/- प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु ₹ 6/-प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मदिरा की भराई पर देय होगी।

39. एफ0एल0-3ए व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत देय बाटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3ए के अर्न्तगत बाटलिंग व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अर्न्तगत एफ0एल0-3बी में बाटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम ₹ 1 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु ₹ 15/-प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु ₹ 6/-प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मदिरा की भराई पर देय होगी।

40. एफ0एल0-3 एवं एफ0 एल0-3ए अनुज्ञापन के अर्न्तगत बियर/ब्रीजर पर देय बाटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के अर्न्तगत बुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम ₹ 1,18,000/- (₹ एक लाख अठारह हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र० सं०	एफ0एल0-3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0-3 ए हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0-3 ए हेतु लाईसेंस फीस
1	₹ 1.00 प्रति ब0ली0	₹ 1.00 प्रति ब0ली0	₹ 0.60 प्रति ब0ली0

41. बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र० सं०	एफ०एल०-३ हेतु बाटलिंग फीस	एफ०एल०-३ ए हेतु बाटलिंग फीस	एफ०एल०-३ए हेतु लाईसेंस फीस
1	₹ 0.93 प्रति ब०ली०	₹ 0.93 प्रति ब०ली०	₹ 0.40 प्रति ब०ली०

42. ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी:-

एफ०एल०-३ ए हेतु	
बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
₹ 1.10 प्रति ब०ली०	₹ 0.75 प्रति ब०ली०

43. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल का लगाया जाना:-

देशी/विदेशी मदिरा एवं अन्य मदिरा (केवल सिविल सप्लाय हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

44. राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था:-

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी०एल०-२ अनुज्ञापन अर्न्तगत थोक बिक्री के बंधित गोदाम (Bonded Warehouse) प्रत्येक जिले में राज्य की चारों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे। प्रदेश की चारों आसवनियों की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर 1/4 सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु ₹ 70 लाख लाईसेंस फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा। आपूर्तिक आसवनी को अपने ब्राण्ड्स का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क ₹1 लाख 50 हजार मात्र निर्धारित किया जाता है। आसवनियों के पी०डी०-२ लाईसेंस की लाईसेंस फीस ₹ 100/- प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

45. शीरा, अल्कोहल एवं मदिरा के नमूनों का परीक्षण:-

प्रदेश की चीनी मिलों, आसवनियों, फार्मेशियों व मदिरा गोदामों/दुकानों से प्राप्त शीरे, अल्कोहल, पेय मदिरा व अल्कोहल युक्त औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से नमूनों का विश्लेषण प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित ख्याति प्राप्त निजी/सरकारी प्रयोगशालाओं से कराये जाने हेतु प्रयोगशालाएं अधिसूचित की जायेगी।

46. कम तीव्रता की एल्कोहल ब्रेवरेज पर निर्यात शुल्क:-

कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रेवरेज पर ₹ 0.10 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क देय होगा।

47. आयात शुल्क की दरें:-

ई0एन0ए0, रेक्टीफाइड स्पिरिट तथा एब्सोल्यूट एल्कोहल पर ₹ 1.00 प्रति एल्कोहल लीटर आयात शुल्क देय होगा। बियर पर ₹ 5.00 प्रति बोतल लिया जायेगा अर्थात् ₹ 60/- प्रति पेटी आयात शुल्क देय होगा। विदेशी मदिरा पर आयात शुल्क ₹ 10/- प्रति बोतल रहेगा।

48. भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

49. एफ0एल0 16, 17 की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए ₹ 500/- निर्धारित की जाती है।

50. देशी मदिरा में प्रचलित धारिता की बोतलों के अतिरिक्त 200 ML की धारिता में मदिरा की बिक्री गुणवत्तायुक्त पेट (PET) बोतलों (माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेशानुसार किया जायेगा) अथवा कॉच की बोतलों में अनुमन्य होगी।

51. देशी मदिरा में हाई सिक्योरिटी (aluminium cap with plastic tempair proof ring with holographic printing on top) पिलफर प्रूफ ढक्कन ही प्रयोग मे लाये जायेंगे।

52. देशी मदिरा में उत्तराखण्ड के फलों से उत्पादित पाँच प्रतिशत मदिरा का मिश्रण कर बिक्री की जायेगी तथा देशी मदिरा निर्माता को इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रयुक्त फल उत्तराखण्ड राज्य में ही उत्पादित है। छः माह पश्चात् पुनः समीक्षोपरान्त शासनादेश से फलों से प्राप्त मदिरा के मिश्रण के अनुपात को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

53. प्रदेश में स्थित मॉल्स में दस विदेशी मदिरा के मॉडल शॉप हेतु अनुज्ञापन जारी किये जायेंगे। उक्त हेतु निर्धारित शर्तें व अन्य औपचारिकताएँ पृथक से निर्धारित की जायेंगी।

54. ओवर टाईम (over time) शुल्क, आबकारी निरीक्षकों हेतु ₹ 320 प्रति घण्टा, आबकारी उप निरीक्षकों हेतु ₹ 108 प्रति घण्टा, आबकारी लिपिक हेतु ₹ 108 प्रति घण्टा एवं आबकारी सिपाही/प्रधान सिपाही हेतु ₹ 96 प्रति घण्टा की संशोधित दरे नियत की जाती है।
55. अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव

संख्या 159 (1)/XXIII/2015/04(01)2015TC तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4-सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव